

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-१/अनु०जा०जनजा०पुस्तक अधि०-१४-६३-०१/१२- ५३

प्रेषक,  
प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,  
महालेखाकार  
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- २१.०८.१७

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये नये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्राक् परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु अनु० जाति के लिये ₹१६.०० लाख एवं अनु० जनजाति के लिये ₹६.०० लाख अर्थात् कुल ₹२२.०० लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति।  
आदेश-स्वीकृत।

२- अनुसूचित जाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹१६.०० लाख ( सोलह लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-४४ में आय व्यय मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-२७७-शिक्षा-उपशीर्ष ०००८-पुस्तक अधिकोष की स्थापना-विषय शीर्ष-०००८.१३.०१-कार्यालय व्यय विपत्र कोड सं०-४४-२२२५०१२७७०००८ के अन्तर्गत विकलनीय है।

अनुसूचित जनजाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹६.०० लाख (छः लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-४४ में आय व्यय मुख्य शीर्ष "२२२५- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-०२-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-२७७-शिक्षा-उपशीर्ष-०००१- छात्रवृत्तियां और वृत्तियां- विषय शीर्ष-०००१.१३.०१-कार्यालय व्यय-विपत्र कोड सं०-४४-२२२५०२२७७०००१ के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उपविकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।


४- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय आवंटनादेश तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७/०४/९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

५-यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है।


६- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

७- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/अनु0जा0जनजा0पुस्तक अधि0-14-63-01/12-53 पटना, दिनांक-21.08.17  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, अनु0जाति  
एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपविकास  
आयुक्त/ सभी संबंधित उपनिदेशक कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित  
महाविद्यालयों के प्राचार्यों/संबंधित निदेशक, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/लेखा शाखा, अनु0जाति एवं  
अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण  
विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,  
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।  
21/8/17

ज्ञापांक-1/अनु0जा0जनजा0पुस्तक अधि0-14-63-01/12-53 पटना, दिनांक-21.08.17  
प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।  
21/8/17